न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अनंत भण्डारी,

दांडिक विविध प्रार्थना-पत्र संख्या 297 सन 2026

गुरदीप उर्फ बिल्लू पुत्र बन्ता सिंह, उम्र 50 साल, निवासी नाडका, पुलिस थाना बगड तिराया, जिला अलवर(राज.)

--प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, अलवर

--विपक्षी

जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 59/2026, पुलिस थाना बगड तिराया, अलवर, अपराध अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम

उपस्थितः-

1- श्री आस मोहम्मद , विद्वान अधिवक्ता - प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2- श्री महेश चन्द शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक - राज्य की ओर से।

आ दे श

दिनांकः 16.03.2026

1- प्रार्थी/अभियुक्त गुरदीप उर्फ बिल्लू की ओर से जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 59/2026, पुलिस थाना बगड तिराया, अलवर में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

2- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 01.03.2026 को शिवराम एएसआई ने एक तहरीरी रिपोर्ट पुलिस थाना बगडतिराया इस आशचय की दर्ज करायी कि वह मय जाब्ता को गश्त करते हुए बगड घाटी के पास पहुंचा तो जरिये मुखबिर सूचना मिली कि नाड़का में दीवान की झोपड़ी के पास एक व्यक्ति अवैध हथकड शराब बेच रहा है। इस सूचना पर मय जाब्ता मुखबिर के द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचा तो वहां एक व्यक्ति प्लास्टिक की जरीकेन हाथ में लिए दिखाई दिया, जो बावर्दी पुलिस जाब्ता को देखकर भागने लगा, जिसको पकड़ा व नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गुरदीप सिंह उर्फ बिल्लू पुत्र बन्ता सिंह, निवासी नाड़का होना बताया। प्लास्टिक की जरिकेन को चेक किया तो उसमें करीब 10 लीटर हथकड़ शराब होना पाया गया। गुरदीप सिंह से शराब बेचने बाबत परमिट व लाइसेंस पूछा तो नहीं होना बताया, जिस पर मौके पर अवैध शराब में से नमूना निकालकर शराब को जब्त किया व गुरदीप को गिरफतार कर थाने आए....इत्यादि।

3- उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 59/2026, पुलिस थाना बगड तिराया, अलवर में धारा 16/54 राजस्थान अबकारी अधिनियम में दर्ज कर तफ्तीश प्रारम्भ की गई। दौराने तफ्तीश प्रार्थी/अभियुक्त गुरदीप सिंह उर्फ बिल्लू को दिनांक 01.03.2026 को गिरफ्तार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 06.03.2026 को खारिज किया गया, जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

4- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त को मामले में झूठा फंसाया गया है। प्राथी/अभियुक्त दिनांक 01.03.2026 से लगातार अभिरक्षा में चल रहा है। प्राथी/अभियुक्त के विरूद्ध गलत रूप से झूठा आरोप लगाया गया है। प्राथी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगेगा। प्रकरण में अभी अनुसंधान चल रहा है। इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

5- इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का कथन रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त आदतन अपराधी है। उसके विरूद्ध आबकारी अधिनियम से संबंधित अन्य छः मामले भी दर्ज हैं। प्राथी/अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर अवैध हथकड़ शराब बरामद हुई है। अतः जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6- उभय पक्षों को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त गुरदीप सिंह उर्फ बिल्लू के विरूद्ध पूर्व में 06 आपराधिक प्रकरण दर्ज होना प्रकट होता है, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र.सं.	एफ.आई.आर. नं./ पुलिस थाना	केस नं.	न्यायालय का नाम	धाराऐं	स्टेटस	जमानत की दिनांक	आगामी पेशी
1.	316/2025 पुलिस थाना बगड तिराया	-	-	16/54 राज. आबकारी अधिनियम	-	-	-
2.	213/2024 पुलिस थाना बगड तिराया	-	-	16/54 राज. आबकारी अधिनियम	-	-	-
3.	109/2024 पुलिस थाना बगड तिराया	-	-	16/54 राज. आबकारी अधिनियम	-	-	-
4.	435/2021 पुलिस थाना रामगढ़	-	-	16/54 राज. आबकारी अधिनियम	-	-	-
5.	129/2017 पुलिस थाना एमआईए अलवर	-	-	16/54 राज. आबकारी अधिनियम	-	-	-
6.	591/2013 पुलिस थाना एमआईए अलवर	-	-	16/54 राज. आबकारी अधिनियम	-	-	-

7- केस डायरी के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 01.03.2026 से लगातार अभिरक्षा में है। प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की संभावना से

इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-<u>आदेश</u>-

8- लिहाजा, प्रार्थी/अभियुक्त गुरदीप सिंह उर्फ बिल्लू पुत्र बन्ता सिंह, उम्र 50 साल, निवासी नाड़का, पुलिस थाना बगड़ तिराया, अलवर(राज.) की ओर से प्रस्तुत हस्तगत जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनकी सन्तुष्टि बाबत पचास हजार रूपए का मुचलका एवं पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये की दो जमानतें पेश कर तस्दीक करवा लेवे, तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर

9- आदेश आज दिनांक 16.03.2026 को लिपिबद्ध करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन विवृत न्यायालय में उदघोषित किया गया।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर